

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु कैम्प-सातड़ा

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 184/2021

दिनांक : 16-11-2021


निर्णय:-

प्रार्थी श्री.....गोपीराम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....मल्लाराम.....
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....सातड़ा.....पटवार मण्डल.....सातड़ा.....
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्.....2071-74.....के खाता संख्या.....368.....में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....गोपीराम पुत्र मल्लाराम.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सम्मानजनक रूप से.....गोपीराम पुत्र मल्लाराम.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का.....सातड़ा.....से करवाने पर पटवारी ने.....गोपीराम पुत्र मल्लाराम.....के
बजाय.....गोपीराम पुत्र मल्लाराम.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....गोपीराम पुत्र मल्लाराम.....
के बजाय.....गोपीराम पुत्र मल्लाराम.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....सातड़ा.....
के खाता संख्या.....368.....में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....गोपीराम पुत्र मल्लाराम.....
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से.....गोपीराम पुत्र मल्लाराम.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।



उपखण्ड अधिकारी
चूरु


16/11/21
उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु

नं. 1882
16/11/2021

